इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2014—भाद्र 26, शक 1936

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2014

क्र. एफ-4-55-2014-पचपन-2.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख 25 सितम्बर 2014 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिसको कि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित महाविद्यालय/ विद्यालय या संस्था, विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम क्रमांक 26 में विहित की गई निम्नलिखित रीति में विश्वविद्यालय से सहयुक्त और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(1) विद्यमान चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शैक्षणिक सत्र 2014-15 से विश्वविद्यालय से सहयुक्त हो जाएंगे तथा उक्त शैक्षणिक सत्र में चिकित्सा और दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों का बैच, विश्वविद्यालय से संबंधित उपरोक्त वर्णित संकायों का प्रथम बैच होगा;

(2) विद्यमान नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, योग, नैचुरोपेथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों के महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्था, विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सहयुक्त हो जाएंगे तथा उक्त शैक्षणिक सत्र में उपरोक्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने वाले पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों का बैच, विश्वविद्यालय से संबंधित उपरोक्त वर्णित संकायों का प्रथम बैच होगा;

(3) उपरोक्त (1) तथा (2) में वर्णित बैचेस से पूर्व प्रवेश प्राप्त समस्त पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र पूर्ववर्ती विश्वविद्यालयों से यथावत् संबद्ध रहेंगे;

(4) विद्यमान महाविद्यालय/ संस्थान, संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करेंगे और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से करेंगे;

(5) भविष्य में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (2) में वर्णित विषयों के समस्त नवीन महाविद्यालय तथा संस्थान अथवा नवीन पाठ्यक्रमों की संबद्धता हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश और विनियमों में वर्णित रीति के अनुसार आवेदन करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2014

क्र. एफ-4-55-2014-पचपन-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-55-2014-पचपन-2, दिनांक 17 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

Bhopal, the 17th September 2014

No. F-4-55-2014-LV-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), the State Government, hereby, notifies the 25th September 2014, as the date on which Colleges/ Schools or Institutions situated within the limits of the area specified under sub-section (1), shall be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the University in the following manner prescribed in the amended statute No. 26 of the University, namely:—

(1) Existing Medical and Dental Colleges shall be associated with the University from Academic Session 2014-15 and the batch of post graduate and under graduate students taking admission in said academic session in the Medical and Dental Colleges shall be the first batch of the University relating to the above mentioned faculties and;

(2) Existing Colleges/ Schools/ Institutions of Nursing, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yog, Naturopathy, Siddha, Paramedical and other allied subject shall be associated with the University from Academic Session 2015-16 and the batch of post graduate and under graduate students taking admission in said Colleges/ Schools and Institutions in said Academic session shall continue to be the first batch of University relating to above mentioned faculties;

(3) All the post graduate and under graduate students admitted prior to the batches mentioned in (1) and (2) above, shall be affiliated with previous universities as it is;

(4) The Colleges/ Institutions shall apply to the University for affiliation and shall compulsorily pay such fees as prescribed by University for privileges of University; and

(5) In future all new Colleges and Institutions mentioned in sub-section (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishvavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) imparting education in allied subjects shall apply for affiliation of new courses, to Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishvavidyalaya, Jabalpur in the manner prescribed in the Adhiniyam, Statute, Ordinance and Rules thereof.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. S. KUMRE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.